

संपादकीय

आदित्य विशिष्ट

महिला आरक्षण की बहस बि

ना आर्थिक भागीदारी बढ़ाए और सामाजिक परिवेश बदले सिफर राजनीति प्रतिनिधित्व देना प्रतीकात्मक महत्व भर का साबित हो सकता है। ऐसी अनेक मिसालें अभी मौजूद हैं। अतः महिला आरक्षण की बहस को अधिक बड़ा फ़्लक दिए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को 'सबसे बड़ी अल्पसंख्यक बताया है। अगर इसका अर्थ निर्णय के रूपों और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उपरिलिपि से है, तो कोर्ट की राय से सहज सहभर हुआ जा सकता है। वैसे ये टिप्पणी बताते हुए जरिस्टस बी। वी। नारागत्तमा ने आवादी में महिलाओं की संख्या का भी ज़िक्र किया। कहा कि कुल आवादी में महिलाएं 48। 44 फौसदी हैं। यानी संख्यात्मक विधान में 10वां संसेधन महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने की मिसाल है, हालांकि उन्होंने सवाल किया कि आखिर आरक्षण के प्रावधान से अलग भी राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा सकता।

जरिस्टस नारागत्तमा और जरिस्टस आर महादेवन की बेंच एक याचिका पर सुनार्ह कर रही है, जो विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हुए संविधान संशोधन से संबंधित है। यूके उत्तरांतर आरक्षण जनगणना के बाद होने वाले चुनाव में लागू होगा, तो इस कथित देव पर याचिका में संख्यात्मक विधान में गढ़ आये हैं। मगर कोट्टे देव से अधिक परेशान नहीं दिखा। ऐसी क्रम में बिना आरक्षण लागू हुए प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध उठाया गया। बरहाल, प्रतिनिधित्व अभी मिल या जनगणना के बाद कुछ अहम सवाल कायाम रहेंगे। इनमें प्रमुख यह है कि प्रतिनिधित्व दिखावाटी होना चाहिए या यह वास्तविक संशक्तीकरण का परिणाम होना चाहिए? आरक्षण के प्रावधान उत्तरांतर विधित या पीड़ित समझों की स्व-प्रेरणा एवं अपनी शक्ति से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। संभव है कि यहीं बहला आरक्षण के संदर्भ में भी लागू होती दिखे। सत्ता के ऊंचे स्थलों पर महिलाओं की उपरिलिपि बेहत कम है, तो उसका कारण वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरातल है, जिसमें विचयों को लड़कों से कमतर अवसर मिल पाते हैं। खुद जरिस्टस नारागत्तमा ने भी कहा कि राजनीति, सामाजिक एवं अधिक न्याय का समान महत्व है। तो बिना आर्थिक भागीदारी बढ़ाए और सामाजिक परिवेश बदले सिफर राजनीति प्रतिनिधित्व देने की कोशिश प्रतीकात्मक महत्व की साबित हो सकती है। फिलाल, ऐसी अनेक मिसाल भारतीय राजनीति में मौजूद हैं। अतः महिला आरक्षण की बहस को अधिक बड़ा दायरा दिए जाने की जरूरत है।

भारतीय लोकतंत्र की जमीन पर जड़ें जामाते राजनीति के वंश-वृक्ष देश की संवैधानिक संप्रभुता की जड़ा में मट्टा घोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस समेत राजनीतिक दल में राजनीतिक उत्तराधिकार और वंशवाद को राजनीति के फ़लक पर स्थापित करने की होड़ लगी है। भाजपा में भी वंशवाद का रोग दायद देखते हुए जरिस्टस बी। वी। नारागत्तमा ने आवादी में महिला आरक्षण की बहस को अधिक बड़ा फ़्लक दिए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को 'सबसे बड़ी अल्पसंख्यक बताया है। अगर इसका अर्थ निर्णय के रूपों और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उपरिलिपि से है, तो कोर्ट की राय से सहज सहभर हुआ जा सकता है। वैसे ये टिप्पणी बताते हुए जरिस्टस बी। वी। नारागत्तमा ने आवादी में महिला आरक्षण की बहस को भी ज़िक्र किया। कहा कि कुल आवादी में महिलाएं 48। 44 फौसदी हैं। यानी संख्यात्मक विधान में 10वां संसेधन महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने की मिसाल है, हालांकि उन्होंने सवाल किया कि आखिर आरक्षण के प्रावधान से अलग भी राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा सकता।

राजनीतिक कुलों में संग्राम

प्रमोद भार्गव

बि हार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की कार्राई हार के बाद दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद में वर्षस्व का संग्राम छिड़ गया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमेश खान को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। परिवार के सदस्यों में मानसिक विकृति किस हद तक होती है। इसका उदाहरण देवे हुए रोहिणी के कहने हैं कि 'मुझे गायिया देवे हुए कहा गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने को अपनी गंदी किडनी लगावा दी।' इसके बदले में मैंने करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट लिए। मुझे अब अपनी उदाहरण पर चर्चावाहा हो रहा है। मेरा देश की सभी बेटियों से अनुरोध है कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूल कर 'भी अपने पिता को नहीं बढ़ाएँ।'

लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी रोहिणी के समर्थन में खुलार कर सामने आ गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि 'यदि बहन रोहिणी का मान-पिता को किसी भी बाते जा सकती है तो उसकी जांच होनी चाहिए।' तेजप्रताप ने यहां तक कह दिया कि जयदंडों को जीमीन पर दफन कर देंगे। राज और राजनीतिक वंशों में देखने में आया है कि जब तक वे प्राप्ति कर रहे होते हैं, तब तक उन्हें ताजा बनी रहती है, लेकिन परन के समय ये कुनबे बिराज आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूल कर 'भी अपने पिता को नहीं बढ़ाएँ।'

लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी रोहिणी के समर्थन में खुलार कर सामने आ गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि 'यदि बहन रोहिणी का मान-पिता को किसी भी बाते जा सकती है तो उसकी जांच होनी चाहिए।' तेजप्रताप ने यहां तक कह दिया कि जयदंडों को जीमीन पर दफन कर देंगे। राज और राजनीतिक वंशों में देखने में आया है कि जब तक वे प्राप्ति कर रहे होते हैं, तब तक उन्हें ताजा बनी रहती है, लेकिन परन के समय ये कुनबे बिराज आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूल कर 'भी अपने पिता को नहीं बढ़ाएँ।'

न्यायालय ने केंद्र से अंग प्रतिरोपण पर राष्ट्रीय नीति, समाननियम बनाने को कहा



नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को अंगदान और आवंटन के लिए एक पारदर्शी एवं सक्षम प्रणाली बनाने के लिए राज्यों के परामर्श से एक राष्ट्रीय नीति और समान नियम बनाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। प्रधान न्यायाधीश बीराम गर्वाई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इडियन सोसायटी और अर्पित ट्रांसलाइटरेन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर ये निर्देश पारित किए।

प्रधान न्यायाधीश ने अपने आदेश में केंद्र से अनुरोध किया कि वह आधिकारों को मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 में 2011 के संबंधों को अपनाने के लिए राजी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि

कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर जैसे राज्य, जिन्होंने अभी तक मानव अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 को नहीं अपनाया है, इस मुद्रे के 'महत्व' पर जो दो दोहे हुए इसे की पीठ ने केंद्र से राज्यों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम के तहत इन निकायों का गठन करने को कहा।

जीवित रहते हुए अंगदान करने वालों की 'शोषण' से बचाने के मुद्रे पर, पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए दिवानिंदेश विकसित किये जाएं और जातिगत पूर्ववर्ग के मुद्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जीवित रहते हुए अंगदान करने के लिए "आदर्श आवंटन मानदंड" लाली एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने को कहा। पीठ ने कहा कि इस नीति में लिंग और जातिगत पूर्ववर्ग के मुद्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और राज्य-वार विसंगतियों को समाप्त करने के लिए "देश भर के अंगदानाओं के लिए एक समान मानदंड" रखा जाए। रीषे अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि मणिपुर, नगालैंड, अंडमान निकायों और लक्ष्मीपुर जैसे

राज्यों में राज्य अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण संगठन (एसओटीटी) का अभाव है। पीठ ने केंद्र से राज्यों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम के तहत इन निकायों का गठन करने को कहा।

जीवित रहते हुए अंगदान करने वालों की 'शोषण' से बचाने के मुद्रे पर, पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए दिवानिंदेश विकसित किये जाएं जारी विवादों के साथ परामर्श दिवान के बाद राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम के तहत इन निकायों का गठन करने को कहा।

जीवित रहते हुए अंगदान करने वालों की 'शोषण' से बचाने के मुद्रे पर, पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए दिवानिंदेश विकसित किये जाएं जारी विवादों के साथ परामर्श दिवान के बाद राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम के तहत इन निकायों का गठन करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के अहम प्रावधानों को रद्द किया। उन्होंने कहा कि विविन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 के न्यायमूर्ति के बाद वार्षिक दो बादलवावे के साथ परामर्श दिवान के बाद राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम के तहत इन निकायों का गठन करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 के न्यायमूर्ति के बाद वार्षिक दो बादलवावे के साथ परामर्श दिवान के बाद राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम के तहत इन निकायों का गठन करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने की मेरठ, कानपुर और मथुरा-वृद्धावन की विकास कार्ययोजना की समीक्षा परियोजना निर्धारित करते समय आय सूजन की संभावनाओं का भी रखें ध्यान: योगी अदित्यनाथ



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने बुधवार को मेरठ, कानपुर और मथुरा-वृद्धावन के सम्पूर्ण नगरीय विकास की काययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इन नगरों का विकास केवल सड़कों और इमारतों के निर्माण तक सीमित न हो, बल्कि उनका स्वरूप ऐसा बने जिसमें स्थानीय पहचान, इतिहास, संरक्षण और आधिकारिक सुविधाओं का संबुद्ध ढंग से लागू हो, कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे रूप से जाएं और नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखे।

